न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 32/2016

उनवान प्रकरण

1—मीरादेवी पत्नी वृजमोहन ब्राहम्ण निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2—शकुन्तलादेवी पत्नी लज्जाराम जाति धोवी निवासी ग्राम धुरवास तहसील बाडी जिला धौलपुर .....अपीलान्ट

बनाम

1—रामजीलाल । पुत्रगण । अकवाम चमार,
2—ईश्वरी । बावू । निवासीगण ग्राम सैपऊ, बाडी रोड सैपऊ
3—रूमो पत्नी बावू " फोत" । तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
.....रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 2265
दिनांक 10.01.2013 बॉके ग्राम सैपऊ
तहसील सैपऊ द्वारा तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति अभिभाषक :—
अपीलान्टास की ओर से :— श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट
रेस्पोडेन्ट संख्या—1 लगा02 की ओर से :— श्री हरवीरसिंह एडवोकेट

निर्णय

दिनांक : 21.02.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 1459 रकवा 01वीधा 06 विस्वा बांके ग्राम सैपऊ नम्बर—2 तहसील सैपऊ में रेस्पोडेण्टस 1लगा03 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार थे। उक्त रेस्पो0 ने अपने हिस्से की भूमि उक्त में से 500 वर्गगज भूमि का आवासीय रूप में भूमि रूपान्तरण अधिकारी तहसीलदार सैपऊ से आवासीय पटटा दिनांक 24.1.2011 को प्राप्त किया। रेस्पोडेण्ट 1 लगा03 ने दो अलग अलग विकय पत्रों से आवासीय रूपान्तरित 500 वर्गगज भूमि में से अपीलान्ट को दिनांक 1.2.2011 विकय भू—खण्ड किये तथा कब्जा सौप दिया। रूमो ने 1/2 भाग के अन्य खातेदार काश्तकार से भी 1/2 भाग कय कर लिया। परन्तु उक्त खसरा नम्बर में से 500 वर्गगज भूमि को कृषि भूमि से कम नहीं किया तथा इसकी जिम्मेदारी तहसीलदार की थी जो रे.को.मे.की धारा 142 के अनुसार आवादी को कम करना उक्त खसरा नम्बर से चाहिऐ था। परन्तु राजस्व अभियान में

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

रेस्पोडेण्ट ने अन्य खसरा नम्बरान के साथ उक्त विक्रय शुदा भू–खण्डों के सहित राजस्व अभियान में वाहमी वटवारा करके नामान्तकरण तहसीलदार सैपऊ से दिनांक 10.1.2013 को करा लिया जिससे व्यथित होकर अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि नामान्तकरण संख्या 2265 रकवा 1 वीधा 6 विस्वा के सम्पूर्ण खसरा नम्बर की सीमा तक गलत व अवैध है। 500 वर्गगज भूमि को जो आवासीय रूप से परिवर्तित दिनांक 24.1.2011 को हो चुकी थी जिसे कम करके नामान्तकरण करना चाहिऐ था। अतः नामान्तकरण इस सीमा तक काबिल निरस्ती के है। अपीलान्ट का कब्जा क्रय शुदा खसरा नम्बर 1459 के आवादी के हिस्से पर विक्रय पत्रों के दिनांक से रहा तथा पत्थर आदि डले है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा भी नहीं था परन्तु इसके बावजूद सम्पूर्ण खसरा नम्बर पर उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया जो गलत व अवैध है। तहसीलदार को आवादी भूमि को कम धारा 142 रे.को.मे. के अनुसार कम करके 500 वर्गगज भूमि पर जमाबंदी में आवादी भूमि दर्ज करनी थी परन्तु इसे कम नहीं करके सम्पूर्ण खसरा नम्बरो का नामान्तकरण वाहमी बटवारे के अनुसार गलत व अवैध दर्ज किया जो काबिल निरस्ती के है। उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 11.4.16 को हुई जानकारी से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत है। रेस्पो0 संख्या–3 रूमों का निधन हो चुका है उसके जायज वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 रिकार्ड पर मौजूद है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2265 तारीखी 10.1.2013 खसरा नम्बर 1459 रकवा 1 वीधा 06 विस्वा में से 500 वर्गगज भूमि को कम करके बांकी नामान्तकरण रखे की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के सर्मथन में नकल नामान्तकरण संख्या 2265 दिनांक 10.01.2013 ग्राम सैपऊ नम्बर–2 तहसील सैपऊ, फोटो प्रति भूमि रूपान्तरण पटटा तारीखी 24.1.2011, फोटो प्रति विक्रय पत्र अपीलान्ट मीरादेवी, फोटोप्रति विक्रय पत्र अपीलान्ट शकुन्तलादेवी, पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा02 की ओर से श्री हरीवीर सिंह एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 3.8.2017 को प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बावत पेश किया। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई ।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी में रेस्पोडेण्टस 1लगा03 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार थे। उक्त रेस्पो0 ने अपने हिस्से की भूमि उक्त में से 500 वर्गगज भूमि का आवासीय रूपान्तरण कराकर पटटा दिनांक 24.1.2011 को प्राप्त किया। रेस्पोडेण्ट ने दो अलग अलग विक्रय पत्रों से आवासीय रूपान्तरित 500 वर्गगज भूमि में से अपीलान्ट को दिनांक 1.2.2011 विक्रय भू–खण्ड किये तथा कब्जा सौप दिया परन्तु उक्त खसरा नम्बर में से 500 वर्गगज भूमि को कृषि भूमि से कम नहीं किया राजस्व अभियान में रेस्पोडेण्ट ने अन्य खसरा नम्बरान के साथ उक्त विक्रय शुदा भू–खण्डों के सहित वाहमी वटवारा करके नामान्तकरण तहसीलदार सैपऊ से दिनांक 10.1.2013 को करा लिया नामान्तकरण

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

संख्या 2265 रकवा 1 वीधा 6 विस्वा के सम्पूर्ण खसरा नम्बर की सीमा तक गलत व अवैध है। 500 वर्गगज भूमि को जो आवासीय रूप से परिवर्तित दिनांक 24.1.2011 को हो चुकी थी जिसे कम करके नामान्तकरण करना चाहिऐ था। अतः नामान्तकरण इस सीमा तक काबिल निरस्ती के है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में कथन किया कि विवादित आराजी के अपीलान्ट खातेदार काश्तकार थे। रेस्पोडेन्ट ने उपरोक्त खसरा नम्बर में से 500 वर्गमीटर भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु रूपान्तरित कराई उसमें से एक भू–खण्ड करीव 30X80 फुट का अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र बिक्रय कर दिया शेष भूमि पर रेस्पोडेन्ट काबिज है। रेस्पोडेन्ट अनपढ अंगूठा टेक व्यक्ति है। पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट को बिना जानकारी दिये हुये एवं बिना रेस्पोडेन्ट की सहमति से रेस्पोडेन्ट का अंगूठा लगवाकर बटवारा कर दिया जिसमें रेस्पोडेन्ट की रूपान्तरित भूमि को भी सामिल कर दिया जो गलत है, बटवारा रूपान्तरित भूमि को छोड कर करना चाहिऐ था इसलिये दिनांक 10.1.2013 को किया गया बटवारा गलत एवं अवैध है जिसकी रेस्पोडेन्ट को कोई जानकारी नहीं रही। रेस्पोडेन्ट बटवारा दिनांक 10.1.2013 एंव उसके आधार पर किये गये नामान्तकरण संख्या 2265 को निरस्त किये जाने में रैस्पोडेन्ट पूर्ण सहमत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 1459 रकवा 01वीधा 06 विस्वा बांके ग्राम सैपऊ नम्बर–2 तहसील सैपऊ में रेस्पोडेण्टस 1लगा03 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार थे। उक्त रेस्पो0 ने अपने हिस्से की भूमि उक्त में से 500 वर्गगज भूमि का आवासीय रूप में भूमि रूपान्तरण अधिकारी तहसीलदार सैपऊ से आवासीय पटटा दिनांक 24.1.2011 को प्राप्त किया। रेस्पोडेण्ट 1 लगा03 ने दो अलग अलग विक्रय पत्रों से आवासीय रूपान्तरित 500 वर्गगज भूमि में से अपीलान्टस को दिनांक 1.2.2011 विक्रय भू–खण्ड किये तथा कब्जा सौप दिया। परन्तु उक्त खसरा नम्बर में से 500 वर्गगज भूमि को कृषि भूमि से कम नहीं किया गया और राजस्व अभियान में रेस्पोडेण्ट ने अन्य खसरा नम्बरान के साथ उक्त विक्रय शुदा भू–खण्डों के सहित वाहमी वटवारा करके नामान्तकरण संख्या 2265 तहसीलदार सैपऊ से दिनांक 10.1.2013 को करा लिया।

नामान्तकरण संख्या 2265 रकवा 1 वीधा 6 विस्वा के सम्पूर्ण खसरा नम्बर की सीमा तक गलत व अवैध है। 500 वर्गगज भूमि को जो आवासीय रूप से परिवर्तित दिनांक 24.1.2011 को हो चुकी थी जिसे कम करके नामान्तकरण करना चाहिऐ था। परन्तु इसे कम नहीं करके सम्पूर्ण खसरा नम्बरो का नामान्तकरण वाहमी बटवारे के अनुसार गलत व अवैध दर्ज किया जो काबिल निरस्ती के है। अपीलान्टस के इन तथ्यों को रैस्पोडेन्टस ने भी स्वीकार किया है। अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार अपीलान्टस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 2265 दिनांक 10.01.2013 ग्राम सैपऊ नम्बर–2 तहसील सैपऊ निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त पक्षकारान को सुनकर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर